न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एम.एम.एस.बेदी के समूक्ष

डॉ सुरुचि आदित्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य--प्रतिवादी

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 14727

5 सितंबर 2012

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट क्षेत्राधिकार - फार्माकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद पर चयन के लिए पात्रता शर्तें - चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम 1998, समय-समय पर संशोधित - क्या प्रावधान मुख्य प्रावधान को ओवरराइड कर सकता है - माना गया, नहीं - प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है और इसका उपयोग मुख्य प्रावधान में अपवाद बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अनुरूप होना चाहिए - ऐसे प्रावधान के आधार पर चयन के लिए विज्ञापन, बुरा माना जाता है।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा स्थापित मामला यह है कि चूंकि एमसीआई विनियमों को अपनाया गया था, जिसने संस्थान को असंशोधित योग्यता के संदर्भ में 24.7.2009 को चार साल की अवधि के लिए प्रश्नगत पद पर चुनाव करने में सक्षम बनाया, विज्ञापन पूरी तरह से इसके अनुरूप है। हालाँकि, मेरी राय में, उठाया गया विवाद पूरी तरह से गलत है। योग्यता प्रदान करने वाला प्रावधान दो भागों में है। पहला भाग वह योग्यता है जो प्रावधान में संशोधन के बाद निर्धारित की गई है, जिसमें गैर-संशोधित नियमों में प्रदान किए गए शिक्षण अनुभव से कम शिक्षण अनुभव प्रदान किया गया है क्योंकि इसे पांच साल से घटाकर चार साल कर दिया गया है। दूसरे भाग में चार प्रकाशित शोध पत्रों की वांछनीय योग्यता में संशोधन किया गया और कम से कम दो शोध प्रकाशनों की आवश्यकता की गई।

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह माना गया कि 15.12.2009 को किए गए संशोधन के माध्यम से दो प्रावधान जोड़े गए। जहां तक पहले परंतुक का सवाल है, वह योग्यता का ही पूरक है। यह केवल यह बताता है कि शोध प्रकाशन पहले लेखक के रूप में होना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए, यह सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के भीतर होना चाहिए।

(पैरा 16)

आगे कहा गया कि जहां तक दूसरे परंतुक का सवाल है, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग था। वास्तव में, यह 24.7.2009 से चार साल की अवधि के लिए संशोधित योग्यताओं के आवेदन को छीन रहा था। यह प्रावधान एक सक्षम प्रावधान की तरह है जिसके अनुसार एक संस्थान असंशोधित नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ/पदोन्नति कर सकता है। संस्थान द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं को अपनाना, जो अन्यथा अनिवार्य है, का अर्थ यह होगा कि दिनांक 24.7.2009 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित योग्यताएं और दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़े गए पहले प्रावधान में बताई गई योग्यताएं। 2009 लागू होगा. योग्यताओं को अपनाने के बाद, दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना द्वारा जोड़े गए दूसरे परंतुक में दिए गए अपवाद के संदर्भ में एक विज्ञापन जारी करना 1998 के विनियमों के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि उस उद्देश्य के लिए, एक सचेत निर्णय था ।

यह आवश्यक है कि चार साल की अवधि के लिए, संस्थान कारणों को दर्ज करके असंशोधित विनियमों के संदर्भ में नियुक्तियां/पदोन्नति करता रहेगा, लेकिन वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऐसा कोई अभ्यास किया गया था। बैठक के कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पद के लिए योग्यता को एमसीआई विनियमों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। संशोधित योग्यता संशोधित विनियमों के संदर्भ में है, अपवाद नहीं।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार बंसल:

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता बी.एल. गुप्ता

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

(1) याचिकाकर्ता ने फार्माकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद पर चयन के लिए जारी विज्ञापन में निर्धारित पात्रता की शर्तों को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 25.5.2000 को जम्मू विश्वविद्यालय से अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा किया और वर्ष 2004 में पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एमडी विश्वविद्यालय रोहतक से एमडी किया और सरकार में शामिल हो गईं। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में 6.9.2004 को प्रदर्शक के रूप में और डॉ. हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (संक्षेप में, 'संस्थान') में फार्माकोलॉजी विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने तक वहां काम करना जारी रखा। 1.5.2007 और वहां वैसे ही काम कर रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि मार्च, 2012 में फार्माकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर का एक पद विज्ञापित किया गया था, जिसमें शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ मान्यता प्राप्त मेडिकल और डेंटल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में विषय में पांच साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। /लेक्चरर की आवश्यकता थी. वांछनीय योग्यता इंडेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमित न्यूनतम चार शोध प्रकाशन थे।

(3) निवेदन यह है कि मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करने वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (संक्षेप में, 'एमसीआई') द्वारा बनाए गए नियम डेंटल कॉलेजों में भी लागू होते हैं। इन विनियमों को चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम, 1998 (संक्षेप में, '1998 विनियम') के रूप में जाना जाता है। विषय में मास्टर डिग्री के अलावा रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर के रूप में पांच साल का शिक्षण अनुभव था और वांछनीय योग्यता इंडेक्स मेडिकस में अनुक्रमित न्यूनतम चार शोध प्रकाशन होना था। /राष्ट्रीय

पत्रिकाएँ। दिनांक 24.7.2009 की अधिसूचना के माध्यम से योग्यता में संशोधन किया गया था, जिसके तहत सहायक प्रोफेसर के रूप में शिक्षण अनुभव पांच साल से घटाकर चार साल कर दिया गया था, जबकि अनुक्रमित/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशन भी आवश्यक थे। दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना द्वारा प्रावधानों को और संशोधित किया गया, उपरोक्त प्रावधान में एक प्रावधान जोड़कर संस्थानों को विनियमों में मौजूद योग्यताओं के अनुसार नियुक्तियाँ करने के लिए 24.7.2009 से चार साल की अवधि के लिए अवसर दिया गया। 24.7.2009 से प्रभावी संशोधन से पहले।

(4) आगे यह भी तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय ने एमसीआई द्वारा निर्धारित योग्यताओं को अपनाया है, जिसका अर्थ आज तक संशोधित है। संशोधित योग्यताओं में चार साल का शिक्षण अनुभव प्रदान किया गया। प्रावधान, जिसने एक संस्थान को असंशोधित योग्यताओं के संदर्भ में 24.7.2009 से चार साल की अवधि के लिए भर्ती करने में सक्षम बनाया, को कारणों को दर्ज करके एक सचेत निर्णय लेकर विशेष रूप से अपनाया जाना था, लेकिन वर्तमान में मामले में, हालांकि एमसीआई द्वारा संशोधित योग्यताएं अपनाई गईं, लेकिन फिर भी जब एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया गया, तो असंशोधित योग्यताएं निर्धारित की गईं, जो नियमों के विपरीत है।

(5) विद्वान वकील ने प्रीतपाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि एक प्रावधान मुख्य प्रावधान से आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बार परंतुक के माध्यम से चार साल के लिए शिक्षण अनुभव के रूप में योग्यता प्रदान करने वाले मुख्य प्रावधान को पांच साल के रूप में नहीं बनाया जा सकता है।

(6) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले योग्यताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। दिनांक 9.3.2012 को संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, मेडिकल स्टाफ की योग्यता को एमसीआई के अनुसार माना जाएगा और संबंधित पद सहित विभिन्न पदों के लिए योग्यता को एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। एक बार जब दिशानिर्देश 24.7.2009 से चार साल की अवधि के लिए असंशोधित नियमों को जारी रखने के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद पर चयन के लिए विज्ञापन में समान योग्यता का उल्लेख करने में कुछ भी गलत नहीं है।

(7) विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रश्न में विज्ञापन से पहले, विश्वविद्यालय द्वारा योग्यता में कुछ छूट दी जा रही थी, यहां तक कि प्रदर्शनकर्ता के रूप में अनुभव को शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जा रहा था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार थे उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि असंशोधित नियमों में पांच साल के शिक्षण अनुभव का प्रावधान है, लेकिन वांछनीय के रूप में कागजात के प्रकाशन के साथ इस कारण से निर्धारित किया गया था कि प्रकाशित कागजात वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि शोध में समय लगता है। एमसीआई ने इसके लिए चार साल का समय भी दिया था। संस्थान द्वारा समय से पहले दी गई छूट, यदि कोई हो, याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है, जैसे कि वर्तमान में जारी किया गया विज्ञापन संस्थान द्वारा अपनाए गए विनियमों के अनुसार है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि विज्ञापित अन्य पदों के लिए साक्षात्कार पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जहां तक प्रश्नगत पद पर चयन का सवाल है, वर्तमान याचिका की लंबितता को देखते हुए, साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए हैं क्योंकि पात्रता ही प्रश्न में है।

(8) पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पेपर बुक का अवलोकन किया।

(9) यह उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 का स्वीकृत मामला है कि संस्थान में नियुक्त किए जाने वाले मेडिकल स्टाफ की योग्यता एमसीआई द्वारा विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार है, जिसके लिए 1998 के नियम बनाए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद के लिए, एमसीआई ने 1998 के विनियमों में निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की थीं:

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण/अनुसंधान अनुभव
(बी) रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)/एमबीबीएस के साथ पीएच.डी. (मेड./फार्माकोलॉजी)/एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी)/ एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी) डी.एससी. के साथ। (मेड. फार्माकोलॉजी)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों के लिए फार्माकोलॉजी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में। वांछित (2) इंडेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमित न्यूनतम चार शोध प्रकाशन

(10) दिनांक 24.7.2009 की अधिसूचना द्वारा आवश्यक अनुभव में परिवर्तन करके उपरोक्त योग्यताओं में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद योग्यताएँ:

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण/अनुसंधान अनुभव
(बी) रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)/एमबीबीएस के साथ पीएच.डी. (मेड./फार्माकोलॉजी)/एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी)/ एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी) डी.एससी. के साथ। (मेड. फार्माकोलॉजी)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 4 वर्षों के लिए फार्माकोलॉजी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में। वांछित (2) इंडेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमित न्यूनतम 2 शोध प्रकाशन

(11) फिर भी, दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना के माध्यम से, उपरोक्त योग्यताओं में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि प्रकाशन प्रथम लेखक के रूप में होना चाहिए और सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के दौरान प्रकाशित होना चाहिए। आगे यह प्रावधान किया गया कि 24.7.2009 से चार साल की अस्थायी अवधि के लिए, किसी संस्थान द्वारा असंशोधित योग्यता के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की जा सकती है। संशोधन के बाद प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण/अनुसंधान अनुभव
(बी) रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)/एमबीबीएस के साथ पीएच.डी. (मेड./फार्माकोलॉजी)/एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी)/ एम.एससी. (मेड. फार्माकोलॉजी) डी.एससी. के साथ। (मेड. फार्माकोलॉजी)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में 4 वर्षों के लिए फार्माकोलॉजी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में। वांछित (2) इंडेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमित न्यूनतम 2 शोध प्रकाशन बशर्ते कि ये शोध प्रकाशन प्रथम लेखक के रूप में संबंधित विशिष्टताओं के राष्ट्रीय

		संघों/सोसाइटियों द्वारा पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रकाशित/स्वीकार किए गए हों। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए 2 अनुसंधान प्रकाशनों की आवश्यकता होनी चाहिए 2 अनुसंधान प्रकाशन के साथ पूरा किया जाना चाहिए के दौरान प्रकाशित किया जाना चाहिए सहायक प्रोफेसर का कार्यकाल. इसके अलावा बशर्ते कि 24 जुलाई, 2009 से 4 साल की अस्थायी अवधि के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति संस्थानों द्वारा "मेडिकल संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विनियम" के अनुसार की जा सकती है। 1998" जैसा कि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता (संशोधन) विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलित था। 2009।" (ए) प्रोफेसर।"

(12) संस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न पदों के लिए योग्यता निर्धारण के उद्देश्य से गठित समिति की 9.3.2012 को हुई बैठक में लिया गया निर्णय नीचे दिया गया है:

"(iv) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार मेडिकल स्टाफ के लिए योग्यता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के अनुसार होनी चाहिए और तदनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि

एनेस्थीसिया, फार्माकोलॉजी, जनरल में एसोसिएट प्रोफेसर / रीडर के निम्नलिखित पदों के लिए योग्यता होनी चाहिए। सर्जरी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर / वरिष्ठ व्याख्याताओं को संशोधित किया जाए। इन योग्यताओं का विवरण अनुबंध । के रूप में संलग्न है, जो एमसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

(13) विभिन्न विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद पर चयन हेतु जारी विज्ञापन में निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता थी:

(14) विज्ञापन में निर्धारित पूर्वोक्त योग्यताओं के अवलोकन से पता चलता है कि वे 24.7.2009 से प्रभावी संशोधन से पहले मौजूद असंशोधित विनियमों के अनुसार हैं।

(15) उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा स्थापित मामला यह है कि चूंकि एमसीआई विनियमों को अपनाया गया था, जिसने संस्थान को असंशोधित योग्यता के संदर्भ में 24.7.2009 को चार साल की अवधि के लिए प्रश्नगत पद पर चयन करने में सक्षम बनाया। , विज्ञापन पूरी तरह से इसके अनुरूप है। हालाँकि, मेरी राय में, उठाया गया विवाद पूरी तरह से गलत है। योग्यता प्रदान करने वाला प्रावधान दो भागों में है। पहला भाग वह योग्यता है जो प्रावधान में संशोधन के बाद निर्धारित की गई है, जिसमें असंशोधित नियमों में दिए गए प्रावधान से कम शिक्षण अनुभव प्रदान किया गया है क्योंकि इसे पांच साल से घटाकर चार साल कर दिया गया है। दूसरे भाग में चार प्रकाशित शोध पत्रों की वांछनीय योग्यता में संशोधन किया गया और कम से कम दो शोध प्रकाशनों की आवश्यकता की गई।

(16) 15.12.2009 को किए गए संशोधन के माध्यम से दो प्रावधान जोड़े गए। जहां तक पहले परंतुक का सवाल है, वह योग्यता का ही पूरक है। इसमें केवल इतना बताया गया है कि शोध

प्रकाशन प्रथम लेखक के रूप में होना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्रोफेसर के कार्यकाल के भीतर होना चाहिए।

(17) जहां तक दूसरे परंतुक का सवाल है, उसका प्रभाव बिल्कुल अलग था। वास्तव में, यह 24.7.2009 से चार साल की अवधि के लिए संशोधित योग्यताओं के आवेदन को छीन रहा था। यह प्रावधान एक सक्षम प्रावधान की तरह है जिसके अनुसार एक संस्थान असंशोधित नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ/पदोन्नति कर सकता है। संस्थान द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के पद के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं को अपनाना, जो अन्यथा अनिवार्य है, का अर्थ यह होगा कि दिनांक 24.7.2009 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित योग्यताएं और दिनांक 15.12.2009 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़े गए पहले प्रावधान में बताई गई योग्यताएं। 2009 लागू होगा. योग्यताओं को अपनाने के बाद, अधिसूचना दिनांक 15.12.2009 द्वारा जोड़े गए दूसरे परंतुक में दिए गए अपवाद के संदर्भ में एक विज्ञापन जारी करना 1998 के विनियमों के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि उस उद्देश्य के लिए, एक सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता थी चार साल की अवधि के लिए, संस्थान असंशोधित विनियमों के अनुसार कारण दर्ज करके नियुक्तियाँ/पदोन्नति करता रहेगा, लेकिन वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऐसा कोई कार्य किया गया था। बैठक के कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पद के लिए योग्यता को एमसीआई विनियमों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। संशोधित योग्यता संशोधित विनियमों के संदर्भ में है, अपवाद नहीं।

(18) उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मेरी राय में, असंशोधित योग्यताओं के अनुसार योग्यता प्रदान करने वाले प्रश्नगत पद के लिए जारी किया गया विज्ञापन नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए, इसे रद्द कर दिया गया है।

(19) रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।</u>

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh